राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–5/भर्ती प्रकोष्ठ) विभाग

क्रमांकः प.16(16)का./क–5/भ.प्र./2024 जयपुर, दिनांकः 06 JUN 2024

विषयः– विगत 5 वर्षों में भर्ती राज्यकर्मियों की विभागों द्वारा आन्तरिक जाँच कराने हेतु।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि विगत 05 वर्षों में विभिन्न विभागों में की गई भर्तियों में फर्जी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज प्रस्तुत कर एवं डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठाकर कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा सरकारी नौकरियाँ प्राप्त की गई हैं। अतः प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए प्रत्येक विभाग के द्वारा विगत 05 वर्षों में भर्ती किए गए कर्मचारियों के संदर्भ में आन्तरिक कमेटी गठित कर यह जाँच कर लें कि परीक्षा देने वाला एवं नौकरी करने वाला लोकसेवक दोनों एक ही व्यक्ति है। साथ ही भर्ती किये गये कर्मचारियों के शैक्षणिक पात्रता के दस्तावेजात एवं आवेदन के समय प्रस्तुत आवेदन पत्र, फोटो, हस्ताक्षर इत्यादि की भी भली–भांति जाँच करवाई जाए। जाँच के उपरान्त जिन कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में सूचनाएँ संदिग्ध प्रकट हो, उनकी सूचना एसओजी को उपलब्ध करायी जाये।

6/6/24

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. संयुक्त शासन सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)।
7. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
8. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।

6/6/24

प्रमुख शासन सचिव